झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषय :— **W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.08.2020 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 09.12.1986 से प्रदत्त नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधी Notional Benefit तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर किये वाद की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधित वास्तविक वित्तीय लाभ अन्य संबंधित कर्मियों को प्रदान करने के संबंध में।**

एकीकृत बिहार राज्य में 3 निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मोतीहारी, जे0एम0आई0टी0, दरभंगा एवं मगध इंजीनियरिंग कॉलेज, गया का अधिग्रहण बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) अध्यादेश 1986 के आलोक में दिनांक 09.12.1986 के प्रभाव से किया गया था। उक्त अध्यादेश कालांतर में बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) अधिनियम 1991 बना।

बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) अध्यादेश के अनुसार उक्त सभी निजी महाविद्यालयों के सभी कर्मी दिनांक 09.12.1986 के प्रभाव से स्क्रीनिंग कमिटि के निर्णय तक तदर्थ रूप (Ad-hoc basis) में रहेंगे। एकीकृत बिहार राज्य में स्क्रीनिंग कमिटि के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार की सेवा में अस्थाई तौर से लिये गये शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से संबंधित अधिसूचना संख्या 320 दिनांक—31.01.1991 द्वारा कुल 269 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उनके पदभार ग्रहण की तिथि से वरीयता के आधार पर दिनांक 31.01.1991 से अस्थाई सेवा में रखा गया एवं अन्य कर्मियों को अधिसूचना संख्या— 321, 323, 324 दिनांक 31.01.1991 द्वारा उम्र अधिक होने, जाली ढ़ंग से नियुक्ति होने तथा बैक—डेटिंग कर नियुक्ति होने के कारण सेवा से हटा दिया गया। हटाये गए कर्मियों द्वारा माननीय न्यायालय में CWJC No. 1316/1991 एवं अन्य 14 समादेश दायर किया गया। जिसमें दिनांक— 06.05.1996 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार याचिका को स्वीकृत किया गया तथा प्रतिवादी को निदेश दिया गया कि 04 माह के अंदर केस की जाँच की जाय एवं सेवा में पुनर्वापसी का निर्णय लिया जाय। अगर 04 माह में इन सभी को सुनवाई का मौका देने के उपरान्त आदेश पारित नहीं किया जाता है तो ये सभी 04 माह के बाद सेवा में वापस लिये जाने के हकदार हो जायेंगे। पुनर्वापस किये गए कर्मी की सेवा जारी मानी जाएगी, किन्तु बकाया के भुगतान के पात्र नहीं होंगे। दिनांक— 06.05.1996 को कुल 15 याचिकाओं के कॉमन आदेश का अनुपालन 04 माह के अंदर सुनवाई का मौका देते हुए निर्णय न लिए

जाने के कारण सेवा में पुनर्वापसी हेतु कई कर्मचारियों के द्वारा अलग–अलग अवमाननावाद दायर किया गया। अवमानना वाद दायर होने के बाद विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–1551, दिनांक–19.07.1997 द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक–06.05.1996 को पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित सभी आवेदकों की सेवा तदर्थ रूप में पूर्वतः बहाल की गयी।

अधिसूचना सं0–323 दिनांक 31.01.91 द्वारा तीनों अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालय के सेवा से हटाये गये कुल 133 कर्मियों में से मगध अभियंत्रण महाविद्यालय गया एवं जे0एम0आई0टी0 दरभंगा के कुल 44 कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC- 1937/1991 दायर किया गया। इन 44 कर्मियों में सभी वैसे कर्मचारी थे जो नियुक्ति के समय उम्र अधिक होने के कारण स्क्रीनिंग समिति द्वारा अयोग्य घोषित किये गये थे। CWJC- 1937/1991 में दिनांक 19.10.95 को पारित आदेश अनुसार उक्त सभी कर्मियों की सेवा पुनर्वापस करने का आदेश दिया गया। बिहार सरकार का LPA No. 593 of 1995 दिनांक 20.04.96 को निरस्त हो गया। बिहार सरकार द्वारा दायर SLP दिनांक 26.02.1999 को निरस्त हो गया। अधिसूचना सं0–323 दिनांक 31.01.91 द्वारा हटाये गये अन्य कर्मी द्वारा भी CWJC 3223/91 दायर किया गया था इसमें भी सभी कर्मियों की सेवा पुनर्वापस करने का आदेश दिया गया। अधिसूचना संख्या–323 द्वारा सेवा से हटाये गये कर्मी सेवा में वापस न लिये जाने के कारण MJC 188/96 तथा MJC 187/96 दायर किया गया। तब अधिसूचना संख्या–323 द्वारा सेवा से हटाये गये कर्मी सेवा में वापस लिये गये।

इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा विभिन्न वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में नियमित कर्मी एवं हटाये गये कर्मियों की सेवा पुनर्वापस किया गया तथा विभिन्न तिथियों से नियमित किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कमांक	बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की अधिसूचना संख्या एवं तिथि	सेवा नियमित की गयी अवधि	कर्मियों की संख्या
	सेवा से नहीं हटाये गये कर्मी के संबंध में		
1	कार्यालय आदेश संख्या–709 दिनांक–11.04.2007	दिनांक 31.01.1991 से नियमित किया गया	269
सेवा से हटाये गये कर्मी के संबंध में			
2	कार्यालय आदेश संख्या–709 दिनांक–11.04.2007 (अधिसूचना संख्या–1264 दिनांक–29.04.1993 के आलोक में)	दिनांक– 29.04.93 से नियमित किया गया।	06
3	कार्यालय आदेश संख्या–1203 दिनांक–19.06.2006	दिनांक– 31.01.91 से 05.09.96 तक की सेवा नियमित किया गया।	124
4	कार्यालय आदेश संख्या–1046 दिनांक–23.05.2007	दिनांक– 31.01.91 से 01.11.95 तक की सेवा नियमित किया गया।	45
5	कार्यालय आदेश संख्या–1108 दिनांक–01.06.2007	दिनांक– 28.12.91 से 27.07.97 तक की सेवा नियमित किया गया।	7

बिहार सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेश के अनुसार झारखण्ड में कार्यरत कर्मियों को भी विभिन्न तिथियों से नियमित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की अधिसूचना/कार्यालय आदेश संख्या एवं तिथि	झारखण्ड सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की अधिसूचना/ कार्यालय आदेश संख्या एवं तिथि	सेवा नियमित की गयी अवधि	कर्मियों की संख्या
	सेवा से नहीं हटाये गये कर्मी के संबंध में			
1	कार्यालय आदेश संख्या–709 दिनांक– 11.04.2007	कार्यालय आदेश संख्या–204 दिनांक–11.02.2008	दिनांक 31.01.1991 से नियमित किया गया	122
सेवा से हटाये गये कर्मी के संबंध में				
2	कार्यालय आदेश संख्या–709 दिनांक– 11.04.2007 (अधिसूचना संख्या–1264 दिनांक– 29.04.1993 के आलोक में)	कार्यालय आदेश संख्या–205 दिनांक–11.02.2008	दिनांक– 29.04.93 से नियमित किया गया।	03
3	कार्यालय आदेश संख्या–1203 दिनांक– 19.06.2006	कार्यालय आदेश संख्या–206 दिनांक–11.02.2008	दिनांक– 31.01.91 से 05.09.96 तक की सेवा नियमित किया गया।	39
4	कार्यालय आदेश संख्या–1046 दिनांक– 23.05.2007	कार्यालय आदेश संख्या–207 दिनांक–11.02.2008	दिनांक– 31.01.91 से 01.11.95 तक की सेवा नियमित किया गया।	25
5	कार्यालय आदेश संख्या–1108 दिनांक– 01.06.2007	कार्यालय आदेश संख्या–208 दिनांक–11.02.2008	दिनांक– 28.12.91 से 27.07.97 तक की सेवा नियमित किया गया।	4
			कुल –	193

उपरोक्त से संबंधित कुछ कर्मियों द्वारा माननीय न्यायालय में अधिग्रहण की तिथि 09.12.1986 से नियमित करने एवं बकाया भुगतान हेतु वाद दायर किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

CWJC No. 10680/2000 में आदेश दिनांक 08.09.2006 (निकाले गये कर्मी के मामले में)–प्रतिवादी को निदेश दिया गया कि वादियों को महाविद्यालयों के अधिग्रहण तिथि–09.12.1986 से (निकाले गये अवधि सहित) सेवा को नियमित करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि की गणना की जाए। हालांकि दिनांक 31.01.1991 से दिनांक 06.09.1996 की अवधि की गणना Notional रूप से करते हुए आदेश के एक माह के अन्दर भुगतान किया जाए। उक्त पारित आदेश के आलोक में बिहार सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में **Civil Review No. 61/ 2008** दायर किया। **Civil Review No. 61/ 2008** में दिनांक **29.01.2014** को पारित आदेश द्वारा वाद को निरस्त किया गया तथा **CWJC No. 10680/2000** में दिये गये आदेश को सम्पुष्ट किया गया। निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार का ज्ञापांक– 715, दिनांक 10.03.2014 द्वारा महालेखाकार, बिहार को दिनांक 09.12.1986 के प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धि की गणना कर वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु पत्राचार किया गया। **Civil Review No. 61/ 2008** में दिनांक **29.01.2014** को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार

सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में दायर **LPA No. 1030/2015** दिनांक– 20.03.2018 को **Dismissed** कर दिया गया। **LPA No. 1030/2015** में दिनांक– 20.03.2018 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में **SLP No. 13839/2018** दायर किया गया, जो दिनांक– **03.07.2018** को **Dismissed** कर दिया गया ।

CWJC No. 17739/2014 में आदेश दिनांक **25.04.2018**–**CWJC No. 10680/2000** में दिनांक **08.09.2006** को आदेश के अनुसार जब हटाये गये कर्मियों को दिनांक 09.12.1986 से नियमित किया गया है तो दिनांक– 31.01.1991 से नियमित किये गये कर्मियों को भी दिनांक **09.12.1986** के प्रभाव से नियमित किया जाए। उक्त के आलोक में निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार का ज्ञापांक– 715, दिनांक 10.03.2014 की तरह अन्य 122 वादियों (जो नहीं हटाये गये थे) को भी लाभ दिया जायेगा।

W.P.(S) No. 2785/2019-–अरूण कुमार (सेवा नियमित) मामले में दिनांक **10.08.2020** को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार यह केस **CWJC No. 10680/2000**एवं **CWJC No. 17739/2014** में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के समान है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुसार वादी को लाभ दिनांक 09.12.1986 से Notional एवं वास्तविक वित्तीय लाभ याचिका दायर करने के तीन वर्ष पहले से देय होगा।

L.P.A. 21/2021 Arising out of W.P. (S) No. 2785/2019- Arun Kumar and ors V/s The State of Jharkhand and Others मामले में दिनांक–16.02.2022 को निरस्त कर दिया गया। **L.P.A. 21/2021 arising of W.P.(S) No. 2785/2019** में पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया गया। इसी बीच वादी द्वारा Cont. Case (Civil) No. 718/2020 arising with W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एव अन्य दायर किया गया। समरूप मामले में **Cont. Case (Civil) No. 271/2021 arising with W.P.(S) No. 6789/2019**- राधा मोहन शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के साथ **Cont. Case (Civil) No. 718/2020 arising with W.P.(S) No. 2785/2019**- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य को टैग करते हुए दिनांक **15.07.2022** को पारित आदेश के अनुसार W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–10.08.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श प्राप्त करते हुए विभागीय आदेश संख्या–711 दिनांक **29.07.2022** द्वारा वादियों को दिनांक **09.12.1986** से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधी Notional Benefit तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर किये वाद की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधित वास्तविक वित्तीय लाभ इस शर्त्त के साथ प्रदान किया गया है कि W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. में पारित न्यायादेश से देय लाभ प्रभावित होगा। **उक्त वादों के अनुसार 5 वादियों को लाभ दिया गया, जिनके नाम क्रमशः** 1. श्री अरूण कुमार, सेवानिवृत्त प्रयोगशाला सहायक, रा0पो0, आदित्यपुर 2. श्री राम निवास शर्मा, सेवानिवृत्त प्रयोगशाला सहायक,

रा0पो0, आदित्यपुर 3. श्री अर्जुन प्रसाद, च0व0क0, रा0पो0, आदित्यपुर 4. श्री अनिल कुमार सिन्हा, च0व0क0, रा0पो0, आदित्यपुर 5. राधा मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त लिपिक, रा0पो0, आदित्यपुर हैं। **SLP (Civil) Diary No. 15612/2022** मामले में दिनांक 17.01.2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है –We find no merits in the S.L.P, accordingly it is **dismissed.** However, the question of law as to whether an employee would be entitled to increment for the period of service rendered on ad hoc basis is kept open.

इसी प्रकार Cont. Case (Civil) No. 173/2022 (Arising out of W.P.(S) No. 3573/2020)-राम नारायण गुप्ता एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के आलोक में W.P.(S) No. 3573/2020-राम नारायण गुप्ता एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–19.02.2021 को झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.08.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के समरूप है। उक्त मामले में भी वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर विभागीय आदेश संख्या–186 दिनांक 21.02.2023 द्वारा **2 वादियों को लाभ प्रदान किया गया है, जिनके नाम क्रमशः** 1. श्री राम नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त लिपिक, रा0पो0, आदित्यपुर 2. श्रीमती अंजु झा, पति– स्व0 कमलेश कुमार झा, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक, रा0पो0, आदित्यपुर हैं। L.P.A. No. 403/2021 The State of Jharkhand & Others V/s Ram Narayan Gupta & Others मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2023 को पारित न्याय निर्णय द्वारा dismiss कर दिया गया है।

W.P.(S) No. 6586/2016- सरोज कुमार (सेवा से हटाये गये कर्मी) के मामले को प्रतिवादी को remand back किया गया। निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा लाभ को अस्वीकृत करते हुए तार्किक आदेश संख्या–140 दिनांक–11.02.2019 पारित कर लाभ को अस्वीकृत करते हुए दिनांक–11.02.2014 को आदेश पारित किया गया। उक्त तार्किक आदेश के विरूद्ध **W.P. (S) No. 3260/2019- Saroj Kumar and ors V/s The State of Jharkhand and Others** में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 को पारित न्यायादेशानुसार तार्किक आदेश को निरस्त करते हुए वादी को दिनांक–31.01.1991 के प्रभाव से Notional लाभ तथा याचिका दायर करने के तीन वर्ष पहले से वित्तीय लाभ देने का आदेश है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा **L.P.A No. 278/2021 Arising out of W.P. (S) No. 3260/2019- Saroj Kumar and ors V/s The State of Jharkhand and Others** तथा **L.P.A No. 92 /2021Arising out of W.P. (S) No. 3260/2019- Saroj Kumar and ors V/s The State of Jharkhand and Others** में दिनांक 03.03.2022 को आदेश पारित करते हुए उक्त वाद को निरस्त कर दिया गया। वादियों का उक्त न्यायादेश के आलोक में लाभ प्रदान किया जाना है।

W.P. (S) No. 5052/2022-शिया शरण मिस्त्री एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, **W.P. (S) No. 5054/2022** राम प्रवेश शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–02.02.2023 को पारित आदेश, **W.P. (S) No. 6064/2022** अरूण कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 30.01.2023 को पारित आदेश तथा

W.P. (S) No. 5847/2022 सहेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 6136/2022- राजेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P. (S) No. 2770/2021-सुनील कुमार ठाकुर एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य (एक साथ टैग) में दिनांक 04.05.2023 को पारित आदेश में W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एव अन्य में दिनांक 10.08.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के समरूप वादी के अभ्यावेदन की तिथि से 12 सप्ताह के अन्दर तार्किक आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है। इसी तरह W.P. (S) No. 1795/2023 अवधेश कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य का मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 52 कर्मियों द्वारा भी लाभ दिये जाने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

इस प्रकार कुल 193 में से 7 शिक्षकेत्तर कर्मियों को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लाभ प्रदान किया गया है। शेष 186 शिक्षकेत्तर कर्मियों को लाभ दिये जाने का मामला विचाराधीन था।

W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार दायर किये वाद की तिथि (दिनांक–11.06.2019) से तीन वर्ष पूर्व की अवधि (दिनांक 11.06.2016) से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधित वास्तविक वित्तीय लाभ देने हेतु आधार मानते हुए संबंधित संस्थानों से व्यय का आक्कलन प्राप्त किया गया, जिसका समेकित विवरणी तैयार किया गया है (अनुलग्नक–'क' एवं 'ख')। व्यय विवरणी की जांच विभागीय समिति द्वारा करायी गयी। जांच समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये व्यय विवरणी को प्रथम दृष्टया सही बताया गया।

झारखण्ड राज्य में निजी महाविद्यालयों के नियमित ऐसे 186 में से 102 कार्यरत कर्मियों के भुगतान हेतु रू. 2,20,70,440/–(दो करोड़ बीस लाख सतर हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) एवं दिनांक 11.06.2016 के पूर्व सेवानिवृत /मृत कर्मियों के भुगतान हेतु रू. 1,39,73,970/–(एक करोड़ उनचालीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) कुल रू. 3,60,44,410 /–(तीन करोड़ साठ लाख चवालीस हजार चार सौ दस रूपये मात्र)व्यय संभावित है। दिनांक 09.12.1986 से नियमित नियुक्ति का लाभ दिये जाने से पूर्व में दिये गये ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. का लाभ की तिथि भी परिवर्तित होगी। संशोधन के पश्चात् जो अधिकाई राशि अनुमान्य होगा, वित्त विभाग से वेतन सत्यापनोपरान्त संबंधित कर्मियों को अलग से राशि देय होगी।

उक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात निम्नवत् निर्णय लिया जाता है:–

1. झारखण्ड राज्य में निजी महाविद्यालयों के नियमित ऐसे 186 कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकेत्तर कर्मियों को W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एव अन्य में दिनांक 10.08.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के अनुरूप दिनांक

09.12.1986 से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधी Notional Benefit तथा दिनांक 11.06.2016 से वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कंडिका–1 के आलोक में झारखण्ड सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आदेश ज्ञापांक–204 दिनांक 11.02.2008, ज्ञापांक–205 दिनांक 11.02.2008, ज्ञापांक–206 दिनांक 11.02.2008, ज्ञापांक–207 दिनांक 11.02.2008 एवं ज्ञापांक–208 दिनांक 11.02.2008 को इस हद तक संशोधित की जाती है।

3. झारखण्ड राज्य में निजी महाविद्यालयों के नियमित ऐसे 186 में से 102 कार्यरत कर्मियों के भुगतान हेतु रू. 2,20,70,440/–(दो करोड़ बीस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) एवं दिनांक 11.06.2016 के पूर्व सेवानिवृत /मृत कर्मियों के भुगतान हेतु रू. 1,39,73,970/–(एक करोड़ उनचालीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) कुल रू. 3,60,44,410 /–(तीन करोड़ साठ लाख चवालीस हजार चार सौ दस रूपये मात्र) संभावित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. दिनांक 09.12.1986 से गणना के फलस्वरूप पूर्व में दी गयी ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. की तिथि संशोधित करने एवं संशोधन के पश्चात वित्त विभाग से वेतन सत्यापनोंपरांत कर्मियों को अलग से राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–23.02.2024 में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)
प्रधान सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–त0 शि0 प्र0/कोर्ट केस–05/2023– /दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–त0 शि0 प्र0/कोर्ट केस–05/2023– /दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–त0 शि0 प्र0 / कोर्ट केस–05 / 2023–198 / दिनांक–27.02.2024

प्रतिलिपि–निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड / निदेशक / प्रभारी निदेशक, बी0 आई0 टी0, सिन्दरी / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार / उपकोषागार, झारखण्ड / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राँची के कोषांग / विभागीय मुख्यालय स्थापना शाखा / विभागीय बजट शाखा / सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.24

प्रधान सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(208)

अनुलग्नक– 'क'

दिनांक–11.06.2016 के पूर्व सेवानिवृत एवं मृत कर्मियों का व्यय विवरणीः–

क्र० सं०	संस्थान का नाम	नाम एवं पदनाम	बकाया राशि
1	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	श्री राम किशोर शरण शर्मा, सेवानिवृत लिपिक	347422
2	राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार	श्री अवधेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत, लिपिक	162584
3		श्री अरविन्द सिंह, सेवानिवृत, च०व०क०	43269
4	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर	श्री काशीनाथ कुमार, सेवानिवृत च०व०क०	127876
5		श्री गणेश प्रसाद, सेवानिवृत च०व०क०	127876
6		श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत च०व०क०	83636
7		श्री नवल किशोर शर्मा, भूतपूर्व च०व०क०	0
8		श्री स्व० तबारक हुसैन, भूतपूर्व च०व०क०	181982
9	राजकीय पोलिटेकनिक, भागा	स्व० राम नारायण झा च०व०क० (मृत दिनांक–22.06.2009)	44161
10	राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर	श्री आनन्द किशोर प्रसाद ठाकुर, सेवानिवृत लिपिक	295100
11		स्व० विद्यानन्द ठाकुर, सेवानिवृत कर्मप्रमुख	170694
12		स्व० अबुल हसन खाँ, भूतपूर्व च०व०क०	32652
13	राजकीय पोलिटेकनिक, राँची	श्री आनन्द चन्द्र झा, सेवानिवृत लिपिक	432813
14		स्व० जफर इमाम, सेवानिवृत लिपिक	49183
15		श्री शशांक शेखर, सेवानिवृत लिपिक	68857
16		श्री ललन शर्मा, सेवानिवृत लिपिक	122982
17		श्री बिशेश्वर शर्मा, सेवानिवृत अनुदेशक	172117
18		श्री अक्षयलाल ठाकुर, सेवानिवृत अनुदेशक	245916
19		स्व० अखिलेश कुमार, सेवानिवृत अनुदेशक	177060
20		श्री प्रसन्न कुमार राय, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	172117
21		श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत च०व०क०	78694
22		श्री कृष्ण कुमार सिंह, सेवानिवृत च०व०क०	118040
23		श्री देवेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत च०व०क०	231138
24		श्री रंगीला प्रसाद, सेवानिवृत च०व०क०	44241
25		स्व० शिव कुमार सिंह, च०व०क	103261
26		स्व० ईश्वरचन्द्र मिश्रा, च०व०क	44231
27		श्री कैशर हुसैन, च०व०क	0
28		श्री राजदेव प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत अनुदेशक	275427
29		श्री कृष्ण नन्दन शर्मा, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	93401
30		श्री अवधेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	93440
31		श्री उमेश कुमार विद्यार्थी, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	167634
32		श्री राम नारायण वैध सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	245834
33		श्री घनश्याम शर्मा, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	245834
34		स्व० श्री नारायण सिंह, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक	245834
35		श्री सुभनाथ मिश्रा, सेवानिवृत लिपिक	285107
36		स्व० गोविन्द नारायण झा, भूतपूर्व लिपिक	673608
37		श्री प्रयाग सिंह, सेवानिवृत लिपिक	609667
38		श्री हरेन्द्र किशोर ठाकुर, सेवानिवृत लिपिक	870226

(८२०५)

39	बी0 आई0टी0 सिन्दरी	श्री ब्रज नन्दन शर्मा, सेवानिवृत लिपिक	730076
40		श्री श्याम किशोर शर्मा, सेवानिवृत लिपिक	285107
41		श्री प्रेम नाथ झा, सेवानिवृत लिपिक	730076
42		श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत सव स्टेशन परिचर	108167
43		श्री इश्वरी प्रसाद, सेवानिवृत सव स्टेशन परिचर	108352
44		श्री वेनी प्रसाद, सेवानिवृत अनुदेशक	301061
45		श्री राम निवास सिंह, सेवानिवृत अनुदेशक	349060
46		श्री पारस नाथ मिस्त्री, सेवानिवृत अनुदेशक	349060
47		श्री सिद्येश्वर मिस्त्री, सेवानिवृत कारपेन्टर	403167
48		श्री चन्देश्वर मिस्त्री, सेवानिवृत कारपेन्टर	403167
49		श्री मुरारी प्रसाद, सेवानिवृत द्वितीय यांत्रिक	132774
50		श्री अनिल कुमार सिन्हा, सेवानिवृत ट्रेसर	108167
51		श्री चितरंजन कुमार, सेवानिवृत च0व0क0	78666
52		स्व0 शिव कुमार चौधरी, सेवानिवृत च0व0क0	44226
53		मो0 जमीर मिया, सेवानिवृत च0व0क0	142559
54	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो	श्री भोला भगत सेवानिवृत च0व0क0	18717
55	राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका	श्री बालचन्द्र झा, सेवानिवृत कर्मप्रमुख	124817
56		श्री बाल कृष्ण ठाकुर, सेवानिवृत अनुदेशक	92277
57		श्री चन्द्रभुषण चौधरी, सेवानिवृत अनुदेशक	101990
58		स्व0 सत्येन्द्र नाथ ठाकुर, लिपिक	0
59	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, रॉची	स्व0 ब्रज किशोर पाण्डेय, भूतपूर्व च0व0क0	79775
60	राजकीय पोलिटेकनिक, निरसा	स्व0 रामाकान्त प्रसाद सिंह सेवानिवृत कर्मप्रमुख	316902
61		स्व0 उदय शंकर सिंह सेवानिवृत लिपिक	0
62		स्व0 विजय कान्त ठाकुर, सेवानिवृत अनुदेशक	78728
63		स्व0 विनय कुमार सेवानिवृत ट्रेसर–सह–कम्पाउण्डर	30175
64		स्व0 मदन राम, सेवानिवृत च0व0क0	0
65	राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी (बोकारो)	श्री बलिउलरब, लिपिक	0
66		श्री सिद्धेश्वर पाण्डेय, लिपिक	514961
67		श्री अरविन्द कुमार सिंह, च0व0क0	0
68	राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद	श्री राम नरेश प्रसाद अनुदेशक	58730
69		श्री राम प्रवेश शर्मा, अनुदेशक	58670
70		श्री अरविन्द कुमार, अनुदेशक	56753
71		श्री ललन प्रसाद शर्मा, लिपिक	212222
74		श्री पवन कुमार, च0व0क0	0
75		श्री हरि राम, च0व0क0	0
76		श्री सुरेन्द्र सिंह, च0व0क0	0
77		श्री सुरेन्द ठाकुर, च0व0क0	30100
78		श्री राधाकान्त श्रीवास्तव, च0व0क0	0
79		श्री श्रीपति तिवारी, च0व0क0	1521
80		श्री तारकेश्वरी नन्द वर्मा, च0व0क0	10366
81		श्री नारायण झा, च0व0क0	116726
82		श्री सृष्टीधर ठाकुर, च0व0क0	43036
83		श्री धर्मकान्त शर्मा, च0व0क0	139668
84	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	श्री अमरेन्द्र प्रसाद वर्मा, लिपिक	130237
		कुल	13973970

अनुलग्नक–'ख'

दिनांक– 11.06.2016 के बाद कार्यरत एवं सेवा निवृत तथा मृत कर्मियों का व्यय विवरणी :–

क्र०सं०	संस्थान का नाम	नाम एवं पदनाम	बकाया राशि
1	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	श्री अरूण कुमार शर्मा, सेवानिवृत अनुदेशक	487441
2		श्री कैलाश पंडित, सेवानिवृत अनुदेशक	49778
3		श्री रमेन्द्र कुमार, सेवानिवृत अनुदेशक	158695
4		श्री वीरेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक	452746
5		श्री दिवानन्द झा, च०व०क०	178596
6		श्री कपिलेश्वर प्रसाद यादव, च०व०क०	178596
7	राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार	श्री भैरो प्रसाद, सेवानिवृत, अनुदेशक	247920
8		श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत, भंडारपाल (लिपिक)	26404
9		श्री कृष्णकान्त शर्मा, सेवानिवृत, लिपिक	102811
10		श्री विनय चन्द्र चौधरी, सेवानिवृत, अनुदेशक	513251
11		श्री शिवशंकर शर्मा, सेवानिवृत, रात्री प्रहरी–सह–अनुसेवक	190470
12	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर	श्री राम नारायण मिश्रा, सेवानिवृत च०व०क०	335993
13	राजकीय पोलिटेकनिक, भागा	श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक (कार्यरत)	805896
14		श्री मोहन राम, च०व०क० (कार्यरत)	199233
15		स्व० शम्भु पासवान च०व०क० (मृत दिनांक–14.05.2021)	132938
16	राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर	श्री बुदेन ठाकुर, लिपिक	337653
17		श्री अशोक कुमार, च०व०क०	220548
18		श्री राम प्रवेश शर्मा, च०व०क०	169026
19		श्री रत्नेश्वरी भारती, च०व०क०	93494
20		श्री चन्द्रकिशोर सिंह, च०व०क०	93494
21		मो० शकील अहमद, च०व०क०	93494
22		श्री नगीना भगत, च०व०क०	59964
23		श्री रामानन्द शर्मा, सेवानिवृत च०व०क०	59364
24		श्री जय प्रकाश ओझा, सेवानिवृत च०व०क०	205394
25	राजकीय पोलिटेकनिक, राँची	श्री दिनेश कुमार, सेवानिवृत लिपिक	269851
26		श्री सैयद कमरूल हुसैन, सेवानिवृत लिपिक	345927
27		श्री सुग्रीव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत लिपिक	77803
28		स्व० कमलेश मिश्रा, भूतपूर्व लिपिक	4213

29		श्री गुणानन्द झा, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	100430
30		श्री गजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत अनुदेशक	540016
31		श्री सुनिल चन्द्र झा, सेवानिवृत अनुदेशक	341662
32		श्री अरबिंद कुमार, सेवानिवृत अनुदेशक	182236
33		श्री राजेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत अनुदेशक	104172
34		श्री शहेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत च0व0क0	180393
35		श्री हरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत च0व0क0	122299
36		श्री रामाश्रय मॉझी, सेवानिवृत च0व0क0	53563
37		श्री कमला मॉझी, सेवानिवृत च0व0क0	119107
38		श्री बबन शर्मा, सेवानिवृत च0व0क0	93571
39		श्री शिवाजी प्रसाद राय, सेवानिवृत लिपिक	152041
40		श्री अरूण कुमार, सेवानिवृत च0व0क0	170394
41		श्री सरयु सिंह, च0व0क0	59415
42		श्री सच्चिदानन्द सिंह, सेवानिवृत च0व0क0	142249
43		श्री शशि भूषण पाठक, सेवानिवृत च0व0क0	72219
44		श्री उपेन्द्र कुमार, सेवानिवृत च0व0क0	145574
45	बी0 आई0टी0 सिन्दरी	श्री रामानुज शर्मा, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	77430
46		श्री नरेश प्रसाद, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	388708
47		श्री वसंत कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	282114
48		श्री सैयद मुजफ्र अहमद, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	117768
49		मो0 मफिज अहमद सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	300702
50		श्री अरूण कुमार शर्मा, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	16008
51		श्री कुमार आदित्य नारायण सिंह, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	228879
52		श्री ललन शर्मा सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	106212
53		श्री उमा शंकर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	249939
54		मो0 नेसार अहमद, सेवानिवृत लिपिक	20000
55		श्री कौशल किशोर, सेवानिवृत लिपिक	428311
56		श्री दिलीप कुमार, सेवानिवृत लिपिक	431955
57		श्री राम उदय शर्मा सेवानिवृत लिपिक	836765
58		श्री मुनिन्दर कुमार, आशुलिपिक	885730
59		श्री ललित मोहन शर्मा, सेवानिवृत सव स्टेशन परिचर	105268
60		श्री ब्रज किशोर सिंह, सेवानिवृत तार कर्मी	282042
61		श्री उपेन्द नायक, सेवानिवृत व्यालर परिचर	82431
62		श्री शिव शंकर ठाकुर, सेवानिवृत यांत्रिक	199262
63		श्री सत्य नारायण शर्मा, केविनट मेकर	335411
64		श्री विश्वनाथ ठाकुर, सेवानिवृत सहायक फिटर	175670

65		श्री भुवनेश्वर सिंह, सेवानिवृत बस चालक	323819
66		श्री अनिल कुमार चौधरी, सेवानिवृत च0व0क0	291084
67		मो0 फजल्लूर रहमान, सेवानिवृत च0व0क0	124747
68		श्री सरोज कुमार, च0व0क0	287526
69		श्री विनय कुमार चौधरी, सेवानिवृत च0व0क0	363288
70		श्री सुधीर कुमार, च0व0क0	254544
71		श्री मदन शर्मा, च0व0क0	363288
72		श्री दुधेश्वर गुप्ता, च0व0क0	287526
73	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो	मो0 सईद मंसूरी, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	300348
74		श्री अरूण कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	587617
75		श्री परमानन्द ठाकुर, कार्यरत च0व0क0	205103
76		श्री शिवजी सिंह, सेवानिवृत च0व0क0	47699
77		श्री प्रभाकर नारायण ठाकुर, सेवानिवृत च0व0क0	183639
78		श्री लाल बहादुर ठाकुर, सेवानिवृत च0व0क0	42041
79		श्री श्रीत बैठा, सेवानिवृत च0व0क0	158624
80		श्री प्रमोद कुमार, कार्यरत च0व0क0	150230
81	राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका	श्री गोपाल सिंह, सेवानिवृत अनुदेशक	347746
82		अब्दुल रसिद खाँ, सेवानिवृत लिपिक	98091
83	राजकीय पोलिटेकनिक, निरसा	श्री सिया शरण मिस्त्री, सेवानिवृत अनुदेशक	331547
84		स्व0 दिनेश शर्मा, सेवानिवृत लिपिक	104068
85	राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी (बोकारो)	श्री अनिल कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रयोगशाला सहायक	120457
86		श्री पारस ठाकुर, सेवानिवृत च0व0क0	105110
87		श्री रामनरेश कुमार, च0व0क0	164600
88		मो0 मुजम्मील च0व0क0	164600
89		श्री बिजयराम, च0व0क0	164600
90		मो0 उमैर आलम,	164600
91		मो0 फखरुद्दीन अली अहमद, च0व0क0	164600

92	राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर	श्री सुनिल किशोर ठाकुर, लिपिक	448271
93	राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद	श्री राम पुकार शर्मा, अनुदेशक	6174
94		श्री ब्रज किशोर ठाकुर, लिपिक	145576
95		श्री अरूण कुमार, लिपिक	44640
96		श्री सुरेश तिवारी, लिपिक	50048
97		श्री राज किशोर सिंह, लिपिक	140363
98		श्री बाबुचन्द्र, चालक	264194
99		श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सेवा निवृत प्रयोगशाला सहायक	178547
100	राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावां	श्री विनय कुमार तिवारी, उच्चवर्गीय लिपिक	278701
101	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	श्री भगेलु राम, च०व०क०	74651
102		श्री मंसूर अंसारी, च०व०क०	317194
		कुल	22070440